भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2287
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर के लिए

संसद सदस्यों के लिए नयाचार

2287. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसद सदस्यों के नयाचार के संबंध में कोई नियम हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दमन और दीव में प्रशासनिक अधिकारी न तो संसद सदस्य को आम लोगों से संबंधित किसी बैठक के बारे में सूचित करते हैं और न ही वे संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देते हैं तथा संसद सदस्य के नयाचार का भी पालन नहीं करते हैं;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास कर रही है कि संसद सदस्यों के लिए नयाचार के नियमों का पालन किया जाए; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रश्न का पैरावार उत्तर इस प्रकार है:-

(क) से (ङ) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने संसद सदस्यों से केंद्रीय मंत्रियों एवं मंत्रालयों को प्राप्त होने वाले पत्रों के निपटान के लिए केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सी.एस.एम.ओ.पी.) में यथा उल्लिखित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रशासन और संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों बीच आधिकारिक व्यवहार पर समेकित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर दोहराया जाता है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी माननीय सांसद के साथ अपने आधिकारिक व्यवहार के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। माननीय सांसद से प्राप्त सभी पत्राचार की विधिवत पावती दी जाती है तथा या तो तुरंत उत्तर दिया जाता है या समीक्षा एवं कार्रवाई हेतु उपयुक्त अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। इसके अलावा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, माननीय सांसदों के फोन कॉल्स का अत्यंत शिष्टता और विनम्रता से उत्तर देते हैं। इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय द्वारा 09.10.2024 को लोक सभा सचिवालय को एक द्विभाषी तथ्यात्मक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

***